

सं.5-2/2016-प्रशा0
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 19 जुलाई, 2016

आदेश

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) को निम्नलिखित कार्य आबंटित किया है) :

2. नीचे पैरा 3 और 4 में सूचीबद्ध किए गए मामलों को छोड़कर सभी मामले राज्यमंत्री के माध्यम से मंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

3. निम्नलिखित मामले राज्य मंत्री के स्तर पर निपटाए जाएंगे :

(क) निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले :

- (1) अतारांकित प्रश्न
- (2) आश्वासन (आश्वासन को पूरा करने/समय-सीमा बढ़ाने, आश्वासन को समाप्त करने के लिए अनुरोध)
- (3) विशेष उल्लेख
- (4) वार्षिक रिपोर्ट/नियम/नियमन आदि प्रस्तुत करना
- (5) कागजातों को अधिप्रमाणित करना

(ख) राजभाषा से संबंधित मामले

(ग) राज्य मंत्री को संबोधित वीआईपी संदर्भ

(घ) अन्य कोई मामला जिसे मंत्री सौंपना चाहे

4. निम्नलिखित मामले मंत्री को सीधे ही प्रस्तुत किए जाएंगे :

- (क) तारांकित प्रश्न
- (ख) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
- (ग) मंत्री को संबोधित वीआईपी संदर्भ
- (घ) मंत्रालय/अधीनस्थ संगठनों/स्वायत्त निकायों में संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के अधिकारियों से संबंधित स्थापना और सतर्कता संबंधी मामले
- (ड.) अत्यावश्यक/तत्काल का कोई मामला


(सतीश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित :

1. निजी सचिव, म.बा.वि. मंत्री/ निजी सचिव, राज्य मंत्री (म.बा.वि.मं.)

2. मंत्रिमंडल सचिव के प्रधान निजी सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. सचिव के निजी सचिव, म.बा.वि.
4. अपर सचिव (एनजीबी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (पीएस) के प्रधान निजी सचिव
5. सभी ब्यूरो/ प्रभाग प्रमुख
6. सभी अवर सचिव/सहायक निदेशक/अनुभाग/यूनिट/डैस्क
7. मंत्रालय के सभी संलग्न/स्वायत्त/सांविधिक निकाय
8. सामान्य/सतर्कता/समन्वय/आईएफसी/सीआर/पीएओ, म.बा.वि.
9. तकनीकी निदेशक एनआईसी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
10. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड
11. गार्ड फाइल